

Attachement 2.18

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे० सिविल, 1.322 हे० वन पंचायत, कुल 1.632 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)


वन सहायक अभियन्ता
निर्माण विभाग
नारायणगढ़


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)